<u>अति तत्काल</u>

सं. 2/4 /2019-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 01.08.2019

सेवा में

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

विषय: <u>15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह।</u>

महोदय,

दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में हमेशा की तरह निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(क) लाल किले में समारोह आयोजित करना जिसमें सशस्त्र सेनाओं और दिल्ली पुलिस द्वारा प्रधानमंत्री को सलामी देना, राष्ट्रीय ध्वज फहराना और उसके बाद राष्ट्रीय गान गाया जाना और 21 तोपों की सलामी देना, प्रधानमंत्री द्वारा भाषण, प्रधानमंत्री के भाषण के तुरंत बाद स्कूली बच्चों/एन. सी. सी. कैडेटों द्वारा राष्ट्रीय गान गाया जाना और अंत में तिरंगे गुब्बारे छोड़ना।

(ख) राष्ट्रपति भवन में स्वागत समारोह।

2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में विभिन्न स्तरों पर स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के लिए कतिपय स्थायी मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं जिनके बारे में उत्तरवर्ती पैराओं में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

3. इस दिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में होने वाले समारोहों में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:-

<u>राज्य स्तर पर:</u>

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में पूर्वाह्न में समारोह (9.00 बजे पूर्वाह्न के बाद) जिसमें मुख्य मंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराना, राष्ट्रीय गान गाया जाना, अर्द्ध सैनिक बलों समेत पुलिस, होमगार्डों, एन. सी. सी., स्काउटों आदि द्वारा सलामी देना, मुख्य मंत्री का भाषण और राष्ट्रगान गाया जाना शामिल है।

जिला स्तर पर

प्रात: (9.00 बजे पूर्वाह्न के बाद) जिला स्तर पर इसी प्रकार का समारोह, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, किसी मंत्री/आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना; राष्ट्रीय गान बजाया जाना, राज्य पुलिस कार्मिकों, होमगार्डों/एन. सी. सी., स्काउटों द्वारा परेड किया जाना, मंत्री/आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भाषण दिया जाना जिसमें 15 अगस्त के महत्व को स्पष्ट कियाजाना और श्रोताओं को देश की एकता और अखंडता के प्रति कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना और राष्ट्रीय गान गाया जाना शामिल हो सकता है।

सब डिवीजन स्तर/ब्लॉक स्तर पर:

किसी मंत्री/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की रस्म अदा करना और उसके बाद राष्ट्रीय गान गाया जाना, अति विशिष्ट व्यक्ति का भाषण, ध्वज फहराना, राष्ट्रीय गान गाना आदि।

पंचायत मुख्यालय/बड़े गांव:

सरपंच/गांव के मुखिया द्वारा ध्वज फहराने की रस्म अदा करना, राष्ट्रीय गान गाया जाना, सरपंच/गांव के मुखिया द्वारा भाषण (जिसमें 15 अगस्त के महत्व को स्पष्ट किया जाए और देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने के लिए श्रोताओं को प्रेरित किया जाए), राष्ट्रीय गान गाया जाना आदि।

4. इस दिन के अन्य समारोहों में ये मदें शामिल की जानी चाहिए: खेलकूद (ग्रामीण खेलकूद सहित), कालेज/स्कूली छात्रों द्वारा पी.टी. का प्रदर्शन अथवा अन्य प्रकार के कौशलों का प्रदर्शन, वृक्षारोपण, अंतर्विद्यालय /अंतर्महाविद्यालय स्तर पर वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, सामुदायिक कार्य, ग्रामीण विकास की कोई महत्वपूर्ण स्कीम शुरू करना, चुने हुए लड़के/लड़कियों द्वारा 15 अगस्त के महत्व पर वार्ता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता, लघु वचत, वृक्षारोपण, परिवार नियोजन अथवा ग्राम विकास के किसी अन्य पहलू जैसे क्षेत्रों में कार्य के लिए पुरस्कारों/प्रमाण-पत्रों/मैडलों का संवितरण अथवा कोई अन्य मद जिसे राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस अवसर के अनुकूल इस दिन के कार्यक्रम में शामिल करने के लिए उचित समझें।

5. जहां तक स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल/उप-राज्यपाल द्वारा राज भवन/राज निवास में स्वागत समारोह आयोजित करने का संबंध है, यह मामला राज्यपालों/उप राज्यपालों के विवेक पर छोड़ा जाता है।

भवदीय,

दीपक कुमार 01/08/2019

(दीपक कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23092421

सं. 2/ 4 /2019-पब्लिक

दिनांक: 01.08.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:

1. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपालों/उप-राज्यपालों के सचिव
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
3. राष्ट्रपति-सचिवालय
4. उप-राष्ट्रपति सचिवालय
5. प्रधानमंत्री कार्यालय
6. भारत के उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार
7. दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार
8. मंत्रिमंडल-सचिवालय
9. राज्य सभा सचिवालय
10. लोक सभा सचिवालय
11. नीति आयोग
12. भारत का निर्वाचन आयोग
13. संघ लोक सेवा आयोग
14. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
15. केन्द्रीय सतर्कता आयोग
16. विश्ववि|kलय अनुदान आयोग
17. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
18. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
19. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
20. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग
21. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
22. राष्ट्रीय महिला आयोग
23. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
24. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
25. प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
26. दिल्ली/नई स्थित गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
27. प्रशासन-।।। अनुभाग, गृह मंत्रालय

अतिरिक्त प्रतियां-5

दीपक कुमार 01/08/2019

(दीपक कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23092421